

प्ररूप 'क'

(नियम 4 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता सहित
2. उस भूमिस्वामी का, जिसके खाते में तथा पटवारी हल्का क्रमांक सहित उस ग्राम का नाम जिसमें वृक्ष काट कर गिराया जाना है
3. सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खंड क्रमांक क्षेत्रफल सहित, जिसमें वृक्ष काट कर गिराया जाना है
4. पूर्वोक्त सर्वेक्षण संख्यांक/भू-खंड क्रमांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार तथा घेरावार कुल संख्या
5. घेरावार काट कर गिराए जाने वाले वृक्षों की संख्या तथा काट कर गिराए जाने वाले वृक्षों का अनुक्रमांक
6. क्रेता का नाम, पूर्ण विशिष्टियाँ तथा पता
7. विक्रय की शर्तें तथा प्रतिफल
8. गंतव्य स्थान जहाँ तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है
9. परिवहन का मार्ग

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ख'

(नियम 4 देखिए)

खसरा को सम्मिलित करते हुए, राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की प्रविष्टियों का अभिलिखित करने हेतु सूचना

प्रति,

तहसीलदार,

तहसील.....

जिला..... मध्यप्रदेश.....

1. आवेदक का नाम/पिता का नाम तथा पता
2. सर्वे क्रमांक तथा क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्रमांक एवं ग्राम, जिसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित हैं
3. भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशिष्टियाँ
4. प्रत्येक खसरा क्रमांक में विद्यमान/प्रस्तावित वृक्षों की संख्या

अनुक्रमांक	खसरा क्रमांक तथा प्रजाति	विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

242. वाजिब-उल-अर्ज - (1) इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, '[उपखंड अधिकारी] किसी ऐसी भूमि या जल में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का न हो या जो उसके द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित न हो -

निरस्त किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

प्ररूप-एक

[नियम 3 देखिये]

प्रति;

कलेक्टर,

.....

विषय — भूमिस्वामी भूमि पर वृक्षों को काटने की अनुज्ञा।

महोदय,

मैं अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों को काटना चाहता हूँ, कृपया मुझे वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दें।
ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता
 2. काटे जाने के लिए प्रस्तावित वृक्षों की प्रजाति संख्या
 3. वृक्षों की कटाई के कारण
- ऋण पुस्तिका की प्रति संलग्न है।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-दो

[नियम 3 देखिये]

कार्यालय, कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर

जिला

क्रमांक

तारीख

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

विषय — भूमिस्वामी भूमि पर खड़े विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा।

संदर्भ — इस न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक/क-62/..... आवेदक

पुत्र/पुत्री/पत्नी/..... निवासी-ग्राम पटवारी हल्का
क्रमांक तहसील जिला

संदर्भाधीन यथा उल्लिखित राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। आवेदन की एक प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदन की जांच अभिकारिता रखने वाले तहसीलदार के मार्फत करवाई जाये। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवेदन में विशिष्ट तथा विनिर्दिष्ट रूप से तथ्यों का सत्यापन, निम्नलिखित बिन्दुओं पर राय तथा सिफारिश होगी :